

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वितीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भैतिक/सांकेतिक कब्जा **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के बकाये की वसूली हेतु उसकी बिक्री **21.04.2021 को “जहाँ है जैसे है”, “जो है यही है”** तथा **“जो कुछ भी है वहीं है”** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in अथवा <https://ibapi.in> में प्रावधानित लिंक देखें।

21.04.2021 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (30 दिवसीय सूचना)					रू. लाख में	आरक्षित मूल्य ईएमडी सेबिका वरिष्ठ
क्र.सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी	मौग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रू. लाख में)	इसे को तिथि एवं प्रकार (भौतिक कब्जा)
1.	अर्थला गाजियाबाद	अनिल कुमार मोबाइल: 9873303102	रवीश कुमार	फ्लैट नं.39ए, भूतल + पहला तल, प्लॉट नं. 39, ब्लॉक-डी, खसरा नं. 1374, अक्षय एन्क्लेव, गाँव रईसपुर परगना-दासना, गाजियाबाद. क्षेत्र 49 वर्ग मीटर. (मालिक: संध्या कुमारी सिंह)	04.05.2019 रू.18.70 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	02.02.2021 (भौतिक कब्जा) ₹ 20.20 लाख ₹ 2.02 लाख ₹ 0.25 लाख
2.	गाजियाबाद	श्री गौरव त्यागी मोबाइल: 9999467102	रवि ट्रेडर्स	आवासीय भवन, प्लॉट नं.648, गाँव रईसपुर, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद. क्षेत्र 453 वर्ग गज (मालिक: पूनम)	28.01.2019 रू.318.83 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	16.04.2019 (सांकेतिक कब्जा) ₹ 80.00 लाख ₹ 8.00 लाख ₹ 0.80 लाख
3.	करोल बाग, नई दिल्ली	श्री सत्येन्द्र पाण्डेय मोबाइल: 99999917126	लक्ष्य ट्रेडर्स	एच 60/8, जय प्रकाश नगर, घोण्डा, शाहदरा, दिल्ली-110053 क्षेत्र 58 वर्ग गज (मालिक: ममता कुमारी)	01.06.2019 रू.60.00 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	02.03.2020 (भौतिक कब्जा) ₹ 61.00 लाख ₹ 6.10 लाख ₹ 0.65 लाख
4.	सेहानी, गाजियाबाद	श्री सिंहा राम जोशी मोबाइल: 9999467512	मनोज कुमार	केएफ-23-ए, केएफ-23-सी गाजियाबाद के कवि नगर में स्थित है।क्षेत्रफल 536.35 वर्ग मीटर। (मालिक: विकास गोयल एवं शालिनी गोयल)	14.01.2020 रू.197.75 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	27.07.2020 (सांकेतिक कब्जा) ₹ 305.00 लाख ₹ 30.50 लाख ₹ 3.10 लाख
5.	साहिबाबाद गाजियाबाद	श्री छतरपाल सिंह / श्री मुकेश मीणा मोबाइल: 8800013541	हरिओम सिंह	दूसरी मंजिल, एसएफ-1, सामने की तरफ, प्लॉट नं.4, खसरा नं.1817, सताब्दीपुरम, गाँव सदरपुर, परगना दासना, गाजियाबाद, उ०प्र०. क्षेत्र 900 वर्ग फीट (मालिक: हरिओम सिंह)	15.02.2020 रू.17.34 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	24.07.2020 (सांकेतिक कब्जा) ₹ 18.20 लाख ₹ 1.82 लाख ₹ 0.20 लाख
6.	नरेला, नई दिल्ली	श्री वी.के. बंसल मोबाइल: 9811539397	मैसर्स चेत राम आजाद प्रकाश	वाणिज्यिक सम्पत्ति - दुकान नं.19, खसरा नं.203 का भाग, भूतल, बिना छत अधिकार के, सम्पत्ति असर सं.2000, नरेला मुख्य रेलवे रोड, दिल्ली-110040. क्षेत्रफल - 85 वर्ग फीट (मालिक: श्री आजाद प्रकाश पुत्र श्री रामा नन्द).	01.07.2019 रू.13.03,158/- + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	12.09.2020 (सांकेतिक कब्जा) ₹ 16.50 लाख ₹ 1.65 लाख ₹ 0.20 लाख
7.	मितराऊ नई दिल्ली	श्रीमती अंशिका जायसवाल मोबाइल: 8299279598 (शा.प्र. मोबाइल 8800013524)	श्री अशोक कुमार मुन्ना	आवासीय फ्लैट- प्राइवेट न. एस-1, सम्पत्ति नं. जी-99 एवं जी-99ए, दूसरा तल (बिना छत अधिकार के) राम कुनाल बिल्डिंग, पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7, द्वारिका, निकट रामफल चौक, नई दिल्ली-110075. क्षेत्रफल-80 वर्ग गज (मालिक: श्री अशोक कुमार मुन्ना).	13.04.2018 रू.33.00,981/- + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	13.04.2018 (सांकेतिक कब्जा) ₹ 31.50 लाख ₹ 3.15 लाख ₹ 0.35 लाख

ई-नीलामी की तिथि: 21.04.2021, समय: 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सायं तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित।
ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय: 20.04.2021 को 04:00 बजे अप. तक।
संविदाकार वेबसाइट: <https://www.mstcecommerce.com> पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ अन्तरण के माध्यम से ईएमडी ग्लोबल ईएमडी वालेट में जमा की जानी है (<https://www.mstcecommerce.com> से चालान के सृजन के बाद)। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता "<https://www.mstcecommerce.com>" के माध्यम से संचालित की जायेगी।
ई-नीलामी **“जहाँ है जैसे है”, “जो है यही है”** तथा **“जो कुछ भी है वहीं है”** आधार पर आयोजित की जायेगी। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म {<https://mstcecommerce.com>} में प्रावधानित लिंक देखें। हेल्पलाइन नं.: 033-22901004.

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना
कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुबंधी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 18.03.2021
स्थान: दिल्ली
श्री एफ. के. गुप्ता, मोबा: 7428536228, प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बै. का. (उत्तर एवं मध्य), चौदनी चौक, दिल्ली

(पूरी नियम एवं शर्तें:

1) अयोधेस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री **21.04.2021 (12:00 बजे अप. से 4:00 बजे सायं)** को वेबसाइट: <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म के द्वारा की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता/क्रेताओं से अनुरोध है कि अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी का उपयोग करते हुए पोर्टल (<https://www.mstcauction.com>) पर पंजीकरण करायें। पुनः उनसे आग्रह है कि केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करें। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों की एक बार जाँच कर लेने के बाद (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकता है) इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को नीलामी के समय से पूर्व अग्रिम में अपने ग्लोबल ईएमडी वालेट में ऑनलाईन पद्धति का प्रयोग करते हुए ईएमडी राशि अंतरित करना होगा। यदि ईएमडी राशि ग्लोबल ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं होता है तो सिस्टम में बोली की अनुमति नहीं दी जायेगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जाँच तथा वालेट में ईएमडी का अंतरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में किया जायेगा। बोलीदाता एक या सभी सम्पत्तियों के लिए अपनी बोली दे सकते हैं। उनके वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता नीलामी की तिथि को बोली करने के लिए योग्य होंगे। बोलीदाता के ग्लोबल वालेट में बोली के समय में पर्याप्त शेष (>= ईएमडी राशि) होनी चाहिए। सबसे अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्तावों के मामले में बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ईएमडी जमा करना होगा। (2) उपरोक्त धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) राशि का भुगतान बोलीदाता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में एनईएफटी/अंतरण (<https://www.mstcecommerce.com>) से चालान निर्माण के बाद ऑनलाईन किया जायेगा एनईएफटी अंतरण किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ही किया जा सकता है। चेक जैसे किसी अन्य पद्धति से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपने बैलेंस में वांछित ईएमडी का भुगतान नहीं करने वाले बोलीदाताओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी। (3) ई-नीलामी के लिये प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com>) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकता-700020, इच्छुक बोलीदाता क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इस सेवा प्रदाता द्वारा पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाईन डेमोनस्ट्रेशन/प्रशिक्षण भी दी जायेगी। बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल बिक्री सूचना बैंक की वेबसाइट्स/ वेबपेज पोर्टल: <https://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ibapi.in> तथा <https://www.mstcecommerce.com> पर भी उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक भागीदार बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई-नीलामी से सम्बन्धित ई-नीलामी के प्रचालनात्मक भाग पर हेल्प मैनुअल की प्रतियों e – bकय IBAPI पोर्टल (<https://ibapi.in>) से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। (4) जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर या उसके ऊपर होगी तथा ई-नीलामी के दौरान बोलीदाता को कोट की गई अंतिम बोली से ऊपर तथा अधिक तथा बोलीदाता की अंतिम उच्च बोली के लिए ऊपर तालिका में दी गई बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि द्वारा इंटरसे बिडिंग में उच्च बोली के प्रस्ताव की अनुमति होगी। सम्पत्ति को आधेस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य से नीचे कोट की गई बोली निरस्त कर दी जायेगी। बोलीदाता सार्वजनिक बिक्री सूचना / बिक्री के नियमों एवं शर्तों में निर्दिष्ट राशि के गुणकों में अपनी बोली में वृद्धि कर सकते हैं। अंतिम दास मिनटों में बोली की प्राप्ति के मामले में 10 मिनट का अंतिमिष्ट विस्तार दिया जायेगा। सम्प्रेसिव उच्च बोली कोट करने के लिए बोलीदाता को दस मिनटों का समय दिया जायेगा तथा यदि दस मिनटों की समाप्ति के बाद किसी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ई-नीलामी बंद कर दी जायेगी। (5) इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई-नीलामी के प्रचालनात्मक भाग पर सहायता मैनुअल का उपयुक्त रूप से अध्ययन कर लें तथा पूरी तरह से उसका पालन करें। (6) किसी प्रकार की कठिनाई अथवा ई-नीलामी प्रक्रिया से पूर्व अथवा उसके दौरान यदि किसी सहायता की जरूरत हो तो वे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता (<https://www.mstcecommerce.com>) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करें जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। (7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी के निर्धारण के बाद केवल सफल बोलीदाता को ही हमारे ऊपर वर्णित सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल द्वारा (उनके द्वारा दी गई /सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत मोबाइल नं./ई-मेल पते पर) इसकी सूचना दी जायेगी। (8) सफल बोलीदाता को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा खाना नं. **3498860922**, आईएफएससी- **CBIN0280288** में जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर 25% (पच्चीस प्रतिशत) बोली राशि का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। निर्धारित समय में उपरोक्त राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा प्राधिकृत अधिकारी नई नीलामी / सम्पत्ति की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा चूक करने वाले क्रेता का जब्त की गई राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। (9) भुगतान में चूक: उसी दिन अथवा उपरोक्त रूप में अगले कार्यदिवस तक 25% बोली राशि (ईएमडी को बताकर) एवं/अथवा निर्धारित समय में शेष 75% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर बिड किसी सूचना के बोली स्वतः रद्द हो जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा प्रवर्त ईएमडी तथा अन्य कोई राशि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी। (10) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री राशि का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-आईए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता को शेष 75% बोली राशि के भुगतान के समय में ही टीडीएस का भुगतान करना होगा। (11) सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेंगे। क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र, पंजीकरण शुल्कों, सरकार/किसी अन्य प्राधिकरण को देय सभी सांविधिक देयताओं, करों, जीएसटी तथा रेस्ट्स, सम्पत्तियों से संबंधित वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए सहित सर्वोप शुल्कों का वहन करना होगा। (12) बिक्री प्रमाणपत्र में बोली में वर्णित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नामों को शामिल /सब्सटाइट्यूट करने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही जारी की जायेगी। (13) बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध डीआरटी/डीआरटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य कोर्ट द्वारा पारित किसी स्थगन/इंजक्शन/प्रतिबंध के प्रचालन लम्बित रहने के दौरान बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं की जायेगी। आगे, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र का निष्पादन लम्बित रहने के दौरान सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि गैर-ब्याज वाली जमा खाता में रखी जायेगी। बिक्री के आंशिक अथवा सम्पूर्ण/निरसन की स्थिति में जमा की गई राशि की वापसी की किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। डीआरटी/डीआरटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही की स्थिति में नीलामी को डेफॉल्ट या निरस्त कर दी जायेगी तथा बिक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों का इस निलम्बन अथवा निरसन के लिये क्षतियों, क्षतिपूर्ति, अथवा लागत के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। (14) प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा यदि पूर्व के बोलीदाता निष्पादन करने में विफल होते हैं तो निष्पादन करने के लिए अगले उच्च बोलीदाता को आमंत्रित करने सहित बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित (लिफ्टिव / रद्द करने / बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है। (15) इच्छुक क्रेता अपने स्वयं के खर्च पर उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंक में उपलब्ध टाइटल दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता **20.04.2021** से पूर्व कार्यावधि के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सम्पर्क कर सकते हैं। (16) सम्पत्ति की बिक्री “जैसा है जहाँ है”, “जो भी जैसा है” तथा “जो कुछ भी वहीं है” आधार पर की जा रही है तथा इच्छुक क्रेता अधिकारों तथा बिक्री बैंक आवाकारी/जीएसटी / आयकर विभाग तथा बैंक के प्रभारों जैसे किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकारों तथा दावे/अधिकारों/देयताओं/प्रभारों के विषय में सम्बन्धित रजिस्ट्रार/एसआरओ/राजस्व अभिलेखों/अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरणों से अपने स्वयं के हित में स्वतंत्र पृष्ठताप एवं जाँच कर लें तथा अपनी बोली जब्त करने से पूर्व सम्पत्ति पर टाइटल के प्रकार, विवरण, विस्तार, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति, अधिभार, लियेण, चार्ज, सांविधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रविष्टता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का पटन नहीं करता है तथा उसे ऐसा करता हुआ नहीं माना जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत क्रेडिटर किसी भी रूप में किसी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकारों/उपरोक्त को छोड़कर (यदि कोई हो) देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। ऑनलाईन बोली जमा करने के बाद किसी के लिये रखी गई सम्पत्ति पर चार्ज/अधिभारों अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य विषयों आदि से सम्बन्धित किसी भी दावे पर विचार नहीं की जायेगी। (17) यह बैंक के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में कोई भी अनुमति/लाईसंस, एनओसी आदि प्राप्त करने अथवा किसी भी बकायें जैसे जल/ सेवा प्रभारों, चार्ज, अंतरण शुल्कों, बिजली के बकायों, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण / को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी अथवा किसी अन्य देयताओं, करों, लेबीज, शुल्कों, उक्त सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्धित अंतरण शुल्कों, यदि कोई हो, जैसी किसी भी देयताओं के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। (18) यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। (19) यह बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में निर्दिष्ट नियमों/शर्तों/प्रावधानों तथा उपरोक्त शर्तों के अधीन होगा। आगे विवरणों, यदि कोई हो, के लिये संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।